संख्या-56/2023/923/2436013/2023/12-5099/10/2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2023**

विषयः-एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) को स्थापित करने हेतु जीआईएस बेस रियल टाइम क्रॉप सर्वे के माध्यम से क्रॉप सोन रजिस्ट्री तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-आईटी सेल/329/एग्री स्टैक/डिजिटल क्राप सर्वे/2023-24, दिनांक 22.06.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने यह कहने का निदेश हुआ है कि एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) को स्थापित करने हेतु जीआईएस बेस रियल टाइम क्रॉप सर्वे के माध्यम से क्रॉप सोन रजिस्ट्री तैयार करने के संबंध में निम्नानुसार क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास में कृषि की महती भूमिका है। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास द्वारा ही अर्थव्यवस्था का समग्र विकास सम्भव है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी जनसंख्या 68 प्रतिशत के करीब है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान परिदृश्य में यह अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुँच सके जिससे संशाधनों के समुचित उपयोग से कृषि क्षेत्र का पूर्ण विकास सम्भव हो सके।

2. धर्मशाला में दिनांक 16 और 17 जून, 2022 को मा० प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिव गण के साथ हुए सम्मलेन में किसान द्वारा डिजिटल रूप से सेवाओं का उपयोग करने हेतु एग्रीस्टैक-डिजिटल कृषि के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया। एग्रीस्टैक एक डिजिटल फाउंडेशन है, जो भारत में कृषि में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों को आसानी से एक साथ लाने और डेटा और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों के लिए बेहतर योजनाओं का नियोजन, सेवाओं तक कृषकों की सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा। यह उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को एक साथ लाने और इस डेटा को उन हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि वे डेटा का उपयोग करके नई सेवाएं बना सकें। MeitY द्वारा InDEA 2.0 आर्किटेक्चर की सोच से विकसित, एग्री स्टैक का निर्माण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के साथ मिलकर किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. एग्रीस्टैक का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट लक्षित सलाह, और बाजारों तक सुविधाजनक पहुंच प्राप्त करना आसान बनाना है। एग्री स्टैक का उद्देश्य सरकार के विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न किसान और कृषि-केंद्रित लाभदायी योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

4. एग्रीस्टैक की स्थापना के प्रारंभिक चरण में, तीन बुनियादी रजिस्ट्री शामिल हैं :-

i. **अभिलेखों के डायनेमिक लिंकिंग के साथ किसानों का डेटाबेस (फार्मर रजिस्ट्री) -** फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत प्रदेश के कृषक विवरण को एग्री स्टैक के अंतर्गत तैयार किए जा रहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया जाएगा। इस हेतु कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकृत कृषकों के डेटाबेस एवं भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर फार्मर रजिस्ट्री तैयार किया जाना है। उपरोक्त के लिए कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल पर नए कृषकों के पंजीकरण हेतु तैयार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 24 मई, 2023 को लोकार्पित किया गया है, जिसके माध्यम से नए कृषक अपना पंजीकरण कर रहे हैं। उक्त के साथ-साथ दर्शन पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध 3.34 करोड़ कृषकों के डाटा को आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा सुधारा जा रहा है, जिसे फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवश्यकतानुरूप उपयोग किया जा सके।

ii. **भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र (जिओ रेफ़रेन्स विलेज मैप) -** प्रदेश के समस्त राजस्व ग्राम से संबंधित राजस्व विभाग के सजरा मानचित्र को रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से प्राप्त हाई-रेजुलेशन सेटेलाइट मैप के साथ मैपिंग कराकर प्रदेश के समस्त राजस्व ग्राम के सजरा मानचित्र को भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र के रूप में डिजिटाइज़ किया जा रहा है। इससे प्रदेश के प्रत्येक खेत का जियो रेफरेंसिंग संभव हो सकेगा। प्रदेश में भूलेख के अनुसार भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र के डिजिटाइजेशन एवं अंश निर्धारण का कार्य राजस्व परिषद द्वारा कराया जा रहा है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज का प्रयोग कर प्रदेश में 24 जनपदों में 90 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र तैयार कर लिया गया है। शेष जनपदों में भी यह कार्य वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

iii. **जीआईएस बेस रियल टाइम क्रॉप सर्वे (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) -** क्रॉप सोन रजिस्ट्री के अंतर्गत प्रदेश के सभी खेतों में बोई गई फसलों का खरीफ रबी एवं जायद में भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल सर्वेक्षण/पड़ताल की कार्यवाही संपन्न कराई जाएगी, जिससे एग्रीटेक के अंतर्गत क्रॉप सोन रजिस्ट्री के अंतर्गत जीआईएस बेस्ड रियल टाइम क्रॉप सर्वे का डाटा प्राप्त हो सकेगा। यह कार्य प्रत्येक वर्ष खरीफ, रबी एवं जायद में राजस्व विभाग के लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक ग्रुप सी, गन्ना एवं उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक, खंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) एवं सहायक तकनीकी प्रबन्धक (एटीएम) एवं आवश्यकता पड़ने पर पंचायत विभाग के पंचायत सहायक एवं कृषि विभाग के प्रोग्रेसिव फार्मर (किसान मित्र) को प्रशिक्षित करते हुए किया जायेगा।

5. जीआईएस बेस रियल टाइम क्रॉप सर्वे (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) को लागू करने हेतु प्रस्तावित क्रियान्वयन

क्रॉप सोन रजिस्ट्री एग्रीस्टैक के अन्तर्गत एक बुनियादी रजिस्ट्री हैं, जिसमे जीआईएस बेस रियल टाइम क्रॉप सर्वे (डिजिटल क्रॉप सर्वे) कर प्रत्येक वर्ष खरीफ रबी एवं जायद में सभी खेतों (सर्वे प्लाट) में भारत सरकार द्वारा तैयार किये गए मोबाइल एप के माध्यम से पड़ताल कराया जाना है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 11021/60/2022-डिजिटल दिनांक 30 मई, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका संलग्न (एनेक्जर-1) है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. योजना का उद्देश्य

i. फसलों के अच्छादन से सम्बन्धित रियल टाइम शुद्ध डाटा प्राप्त करना, जिससे योजनाओं का नियोजन, लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादों के विपणन आदि सुविधाजनक होगा।

ii. प्रदेश के समस्त कृषकों को राज्य सरकार द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु संचालित विभिन योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना।

iii. योजनाओं में लाभ हेतु अथवा अन्य उद्देश से कृषकों की पहिचान एवं प्रमाणीकरण में सुगमता प्रदान करना।

iv. किसानों के लिए कृषि-ऋण, वित्त, आदानों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए कृषि सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराना।

v. प्रदेश के किसानों को बेहतर सेवा देने के लिए कृषि-संबद्ध विभागों के बीच योजना अभिसरण का सरलीकरण।

vi. उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तक आसान पहुंच के साथ एग्री-टेक द्वारा उत्पादों और सेवाओं में नवाचार में तेजी लाना।

7. योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू)

योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 25 मई, 2023 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) (एनेक्जर-2) हस्ताक्षरित किया गया है।

7.1 समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत सरकार द्वारा जो कार्य संपादित कराए जाएंगे उनका विवरण निम्नानुसार है: -

i. एग्रीस्टैक के सहयोगात्मक कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता-आधारित समितियों और संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना किया जाएगा।

ii. एग्रीस्टैक/डीपीआई (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) के तकनीकी आर्किटेक्चर को डिजाइन कर और आवश्यक केंद्रीय बुनियादी ढांचे के विकास हेतु फंडिंग किया जायेगा।

iii. एग्रीस्टैक के चयनित घटकों और डीपीआई के शॉर्टलिस्ट किए गए उपयोग के मामलों के लिए संबंधित योजनाओं से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।

iv. प्रारंभिक चरणों में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए आवश्यक तकनीकी जनशक्ति और धन उपलब्ध कराया जायेगा।

v. राज्यों के समन्वय में केंद्रीय प्रणालियों के साथ राज्य कोर (यानी, 3 कोर डेटाबेस और प्रासंगिक रजिस्ट्रियां) को एकीकृत किया जाएगा। किसानों के न्यूनतम डेटा को छोड़कर किसी भी किसान के व्यक्तिगत डेटा या फसल डेटा को संग्रहीत नहीं करेगा।

vi. सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्रीय योजनाओं के लिए एग्रीस्टैक से किसानों के डेटा का कोई भी साझाकरण केवल आवश्यकता के आधार पर हो और योजनाओं के लाभार्थियों तक सीमित होगा। डेटा केवल संचालन समिति के अनुमोदन के बाद ही साझा किया जाएगा।

vii. एग्रीस्टैक के चयनित घटकों और डीपीआई के शॉर्टलिस्ट किए गए उपयोग के मामलों के लिए संबंधित योजनाओं से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

viii. प्रारंभिक चरणों में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए आवश्यक तकनीकी जनशक्ति और धन उपलब्ध कराएगा।

ix. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र से भू-संदर्भित ग्राम मानचित्रों के निर्माण के लिए राज्यों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी प्रदान किया जाएगा।

7.2 समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जो कार्य संपादित कराए जाएंगे उनका विवरण निम्नानुसार है: -

i. एक संचालन समिति और एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा।

ii. परियोजना के कार्यान्वयन पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय के लिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग से नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा।

iii. एग्रीस्टैक और अन्य डीपीआई को संचालित करने के लिए आईटी संबंधी बुनियादी ढांचे और जनशक्ति को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित किया जाएगा।

iv. केंद्र द्वारा डिजाइन किए गए वास्तुकला सिद्धांतों, रूपरेखाओं और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सेंट्रल एग्रीस्टैक के साथ स्टेट कोर (प्रासंगिक रजिस्ट्रियों के साथ 3 कोर डेटाबेस) का विकास, कार्यान्वयन और एकीकरण। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य भू-अभिलेख प्रणाली से डेटा के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करके और समय-समय पर क्षेत्र से अतिरिक्त विवरण एकत्र करके, यदि आवश्यक हो, तो किसानों की रजिस्ट्री हमेशा अद्यतित रहे। इसी तरह, डीपीआई की अन्य सहायक रजिस्ट्रियों को अद्यतन रखने के लिए राज्य जिम्मेदार होंगे।

v. सुनिश्चित किया जाएगा कि सेंट्रल एग्री स्टैक द्वारा राज्य के किसानों के लिए प्रदान की गई किसान आईडी का उपयोग राज्य में किसान रजिस्ट्री को अपडेट करने के लिए किया जाता रहे।

vi. सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र द्वारा प्रदान की गई एसओपी के अनुसार, किसान आईडी और भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र राज्य के किसान डेटाबेस से जुड़े हुए हों।

vii. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित एग्रीस्टैक की तीन कोर रजिस्ट्रियों के चयनित क्षेत्रों के लिए राज्य और केंद्रीय कोर के बीच आवश्यक सिंक्रनाइज़ेशन प्रक्रिया को लागू किया जाये।

viii. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, क्योंकि यह एग्रीस्टैक का एक मूलभूत रजिस्ट्री है।

ix. आगे उचित सरकारी आदेशों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण डेटा, सत्य डाटा का एकमात्र स्रोत हो और इस डेटा को लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में कॉपी करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

x. भारत सरकार के अनुरोध के अनुसार, उपरोक्त वर्णित सहायक रजिस्ट्रियों और मास्टर डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य-विशिष्ट डेटा का योगदान किया जाएगा।

xi. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के अनुसार डेटा विनिमय और सहमति साझाकरण नीति ढांचे को लागू किया जाएगा।

xii. राज्यों में एग्री स्टैक और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहलों को लागू करने में शामिल सभी संभव प्रक्रिया को फिर से शुरू करना, जहां भी आवश्यक हो, कानूनी परिवर्तन शामिल हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. योजना का क्रियान्वयन

वर्ष 2023-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे के अन्तर्गत देश के 12 राज्यों में पायलेट किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के कुल गाटा संख्या 7.87 करोड़ के 20 प्रतिशत गाटा को सम्मिलित करते हुए पायलेट योजना के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से तथा 54 जनपदों के 10 राजस्व ग्रामों में डिजीटल क्राप सर्वे का कार्य संचालित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों में सभी जनपदों में समग्र रूप से योजना क्रियान्वित की जायेगी। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश के 21 जनपदों **(भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया एवं गोरखपुर)** में शतप्रतिशत जियो रिफरेन्स आधारित खेतों का खरीफ-2023-24 एवं जायद-2023-24 में खसरावार डिजीटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। उक्त जनपदों का विवरण संलग्न (एनेक्जर-3) है। शेष 54 जनपदों मे 10-10 गांव चयनित किए जाएंगे, जिसमें पायलेट आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जायेगा।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य का संपादन निम्नानुसार कराया जाना है:-

i. **सर्वेयर्स** - गुणवत्ता परक डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक सर्वेयर्स के द्वारा एक दिन में न्यूनतम 50 सर्वे प्लॉट का सर्वे कार्य कराया जाए। दक्षता के आधार पर प्रत्येक सर्वेयर 75-100 प्लाट प्रतिदिन भी कर सकता है। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सर्वे की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। जनपद में सर्वेयर का चयन उपरोक्तानुसार मानक के अनुरूप यथासंभव सुनिश्चित किया जाएगा। सर्वेयर के रूप में जनपदों में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग सी, खंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) एवं सहायक तकनीकी प्रबन्धक (एटीएम) का चयन किया जाएगा। गन्ना तथा उद्यान विभाग के समकक्ष क्षेत्रीय कार्मिकों का भी चयन किया जा सकता है। उपरोक्त मानक के अनुरूप यदि अतिरिक्त सर्वेयर्स की आवश्यकता है तो उन्हें पंचायत विभाग द्वारा राजस्व ग्राम में संविदा के आधार पर रखे गए पंचायत सहायक एवं कृषि विभाग द्वारा रखे गए किसान मित्र को सम्मिलित किया जा सकता है। पंचायत सहायक अथवा किसान मित्र को चयन करते समय यह अनिवार्य रूप से देखा जाएगा कि उनके पास अपना एंड्राइड मोबाइल फ़ोन हो तथा मोबाइल एप का प्रयोग करने सक्षम हो।

ii. **सुपरवाइजर -** सर्वेयर्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण को सुपरवाइज़ करने के लिए अधिकतम 20 सर्वेयर्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा तथा प्रत्येक ग्रुप हेतु एक सुपरवाइजर होगा। यह सुपरवाइजर राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक होंगे। यदि राजस्व निरीक्षकों की संख्या प्रयाप्त नहीं है तो कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक वर्ग बी को सुपरवाइजर के रूप में चयनित किया जाएगा।

iii. **वेरीफायर** - वेरीफायर के रूप में राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार का चयन किया जाएगा। यदि नायब तहसीलदारों की संख्या प्रयाप्त नहीं है तो कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक वर्ग ए को भी वेरीफायर के रूप में चयनित किया जाएगा।

iv. **ट्रेनर -** उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु तहसील स्तर पर अधिकतम 20 सर्वेयर पर एक ट्रेनर का चयन किया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि सुपरवाइजर को भी प्रशिक्षण हेतु ट्रेनर के रूप में चयनित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर दो एवं तहसील स्तर पर दो मास्टर ट्रेनर नामित किये जायेंगे। ट्रेनर्स को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षक जनपद में डिजीटल क्रॉप सर्वे हेतु रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेंगे एवं क्षेत्रीय कार्मिकों को डिजीटल क्रॉप सर्वे के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यथाआवश्यक निस्तारण करेंगे। सर्वेयर्स, वेरीफायर एवं ट्रेनर का चयन एवं क्षेत्र आवंटन जिलाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।

v. मास्टर ट्रेनर्स - कृषि विभाग से 6 एवं राजस्व विभाग से 6 कुल 12 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया गया है। सभी मास्टर ट्रेनर्स को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। ये मास्टर ट्रेनर्स योजनान्तर्गत रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेंगे तथा विभिन स्तर पर ट्रेनर्स को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

vi. **प्रशिक्षण: -** डिजीटल क्रॉप सर्वे हेतु सभी सर्वेयर, सुपरवाइजर, वेरीफायर एवं ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण सर्वे करने की पूर्व तीन बार एक दिवसीय प्रशिक्षण के रूप में आयोजित होगा। प्रशिक्षण में प्रशिक्षण हेतु अध्ययन सामग्री, खानपान की व्यवस्था एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत किया जायेगा।

vii. प्रोजेक्ट ऑफिसर - डिजीटल क्रॉप सर्वे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु राज्य स्तर पर कृषि विभाग से अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) एवं राजस्व विभाग से अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद उ०प्र० प्रोजेक्ट ऑफिसर तथा प्रभारी अधिकारी, अनुभाग-7, राजस्व परिषद उ०प्र० एडिशनल प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे। जनपदों में कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे।

viii. राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना - एग्रीस्टैक परियोजना के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद उ०प्र०, कृषि निदेशक, निदेशक पंचायती राज, निदेशक उद्यान, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर एनआईसी (राजस्व परिषद), वित्त नियंत्रक (कृषि विभाग) एवं संयुक्त कृषि निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, डिजिटल एग्रीकल्चर को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यथावश्यक अधिकारियों का नामांकन कृषि निदेशक के स्तर से किया जा सकेगा। पीएमयू में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी तकनीकी स्टाफ को निक्सी के माध्यम से संविदा पर नियुक्त किया जाएगा।

ix. हेल्प डेस्क की स्थापना - खरीफ-2023 में डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्मिकों को आने वाली विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर 10 सीटर हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जनपद में भी एक-एक हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा, जिससे सर्वेक्षण कार्य के समय आने वाली किसी भी समस्या का त्वरित निस्तारण संभव हो सके।

x. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था - वित्तीय 2023-24 खरीफ एवं रबी में किए जा रहे पायलट डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भारत सरकार के स्तर से किया जा रहा है। किंतु आगामी वर्षों हेतु प्रदेश द्वारा यथावश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना आवश्यक होगा। तदक्रम में यह आवश्यक है कि यथावश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाए। यह कार्य एनआईसी के मार्गदर्शन में सुनिश्चित कराया जाएगा।

xi. उक्तानुसार सर्वेयर, ट्रेनर, वेरीफायर का चयन सहित जिला स्तर की कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित करने का दायित्व जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. डिजिटल क्रॉप सर्वे का नमूना सत्यापन

डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत संकलित डेटा का समय-समय पर सत्यापन आवश्यक होगा। इसके लिए 5 प्रतिशत डाटा को थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से सत्यापित कराया जायेगा। थर्ड पार्टी सत्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित संस्था अथवा अन्य एजेंसी का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

10. योजना से संभावित लाभ: -

इस योजना के संचालन से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकेंगी:-

10.1 सरकार को लाभ: -

i. फसलवार आच्छादन की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
ii. राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का सटीक अनुमान प्राप्त हो सकेगा।
iii. कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर, लक्षित क्षेत्र हेतु योजनाओं का नियोजन संभव हो सकेगा।
iv. बैंक द्वारा फसली ऋण का सत्यापन किया जाना।
v. फसल बीमा प्रस्ताव का सत्यापन किया जाना।
vi. मोबाइल एप के माध्यम से क्रॉप कटाई एक्सपेरिमेंट (सीसीई) का प्रभावी क्रियान्वयन।
vii. आपदा के दौरान फसल नुकसान होने पर राहत/अनुदान का समयबद्ध सर्वेक्षण तथा राहत वितरण।

10.2 कृषकों को लाभ

i. विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बार-बार सत्यापन के प्राप्त करना।
ii. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन का खरीद में सरलीकरण।
iii. फसल नुक्सान की स्थिति में कृषक को वास्तविक छति का मुआवजा प्राप्ति में सरलीकरण।
iv. किसानों को लक्षित फसल सलाह प्रदान किया जाना।

10.3 अन्य हितधारकों को लाभ

i. कृषि पर आधारित उद्योग हेतु कृषि उत्पादों के बारे में समय से सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
ii. किसानों को संस्थागत विपणन से जोड़ने का अवसर।
iii. कृषि इनपुट सप्लायर के साथ कृषकों को जोड़ने का अवसर।
iv. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नवोन्मेषी कार्यक्रमों का सञ्चालन।

11. वित्तीय प्रबंधन

i. डिजिटल फसल सर्वेक्षण एक केंद्र पुरोनिधानित योजना है, जो भारत सरकार द्वारा राज्यों को सहयोग देने के लिए कृषोन्नति योजना के डिजिटल कृषि मिशन घटक के तहत अनुमोदित की गई है।
ii. कृषि जनगणना के अनुसार खसरा संख्या और फसल सघनता के अनुपात में राज्यवार निधि आवंटन (60:40) किया जाएगा।
iii. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य को लागत का 40 प्रतिशत साझा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. निधियां जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

v. राज्य द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण से संबंधित गतिविधियों जैसे पारिश्रमिक/ मानदेय, प्रशिक्षण, हेल्प डेस्क, पीएमयू, आईटी अवसंरचना, इन्टरनेट कनेक्टिविटी, वाहन/ईंधन एवं अन्य प्रशासनिक मद में व्यय आदि के लिए निधि का उपयोग किया जायेगा। किसी भी स्थिति में, भारत सरकार से प्राप्त निधि का उपयोग नियमित क र्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा।

vi. भारत सरकार द्वारा जितनी अवधि तक इस योजना हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी उस अवधि तक राज्यांश हेतु निर्धारित धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

vii. भारत सरकार द्वारा प्रदेश को प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष उक्त कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि उपलब्ध होगी।

क्रम संख्या	योजना का नाम	केंद्रांश (Cr)	राज्यांश (Cr)	योग (Cr)
1	डिजिटल क्रॉप सर्वे (एग्रीस्टैक)	54.16	36.12	90.28

viii. योजना अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे करने वाले समस्त सर्वेयर्स (लेखपाल/तकनीकी सहायक वर्ग सी/गन्ना एवं उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक/खंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम)/सहायक तकनीकी प्रबन्धक (एटीएम)/पंचायत सहायक/किसान मित्र) को सर्वेक्षण हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जायेगी। सर्वेयर, सुपरवाइजर वेरीफायर एवं अन्य को इंटरनेट हेतु कार्य के इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु धनराशि दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. उपरोक्तानुसार वर्ष 2023-24 हेतु उपलब्ध धनराशि को डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु पारिश्रमिक/ मानदेय, प्रशिक्षण, हेल्प डेस्क, पीएमयू के गठन एवं संविदा कार्मिकों के मानदेय का भुगतान, आईटी अवसंरचना, इन्टरनेट कनेक्टिविटी, वाहन/ईंधन एवं अन्य प्रशासनिक मद में व्यय आदि के लिए निधि का उपयोग किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध कुल धनराशि एवं आगामी वर्षों में प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी को अधिकृत किया गया है।

12. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण: -

12.1 स्टीयरिंग कमिटी -

योजना के सफल संचालन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी का स्वरूप निम्नानुसार है। योजना के क्रियान्वयन हेतु समय समय पर आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय इस समिति द्वारा लिया जाना है :-

1. मुख्य सचिव — अध्यक्ष
2. कृषि उत्पादन आयुक्त — सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व — सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स — सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.	अपर मुख्य सचिव सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग	सदस्य/सचिव
9.	भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10.	सचिव कृषि	सदस्य
11.	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०	सदस्य
12.	आयुक्त, गन्ना विकास विभाग	सदस्य
13.	निदेशक, उद्यान	सदस्य
14.	कृषि निदेशक	सदस्य
15.	एसईओ, एनआईसी	सदस्य

राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी डिजिटल क्रॉप सर्वे से सम्बन्धित राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कराते हुए कन्वेर्जेस एवं कराये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करेगी। यह कमेटी योजना के अंतर्गत व्यय के मदों एवं प्रोत्साहन की राशि का निर्धारण करने के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक नीतिगत निर्णय लेगी।

12.2 इंप्लीमेंटिंग कमेटी/क्रियान्वयन समिति -

परियोजना को संचालित करने हेतु अपर मुख्य सचिव कृषि /राजस्व (जो वरिष्ठ होंगे) के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय एक इंप्लीमेंटिंग समिति का गठन किया गया है, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे का संचालन का अनुश्रवण करने हेतु उत्तरदायी होगी।

i - राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति - अपर मुख्य सचिव कृषि /राजस्व (जो वरिष्ठ होंगे) के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इंप्लीमेंटिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1.	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग/राजस्व	अध्यक्ष (वरिष्ठतम)
2.	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग/राजस्व	सह-अध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव, उद्यान अथवा उनके द्वारा नामित	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित	सदस्य
5.	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०	सदस्य
6.	अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद उ०प्र०	सदस्य
7.	आयुक्त गन्ना विकास विभाग	सदस्य
8.	निदेशक, उद्यान	सदस्य
9.	कृषि निदेषक	सदस्य/सचिव
10.	निदेशक, कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0	सदस्य
11.	एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. एस0एन0ओ0 (डिजिटल एग्रीकल्चर कृषि/राजस्व)	सदस्य
13. कृषि निदेशक द्वारा नामित दो कृषक	सदस्य

ii - जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति - जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष/प्रोजेक्ट ऑफिसर
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी	सदस्य
4. उप कृषि निदेषक	सदस्य/सचिव
5. जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
6. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
7. जिला गन्ना अधिकारी	सदस्य
8. समस्त उप जिलाधिकारी	सदस्य
9. समस्त तहसीलदार	सदस्य
10. डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0	सदस्य
11. अन्य सदस्य/कृषक, अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
12. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य

iii - तहसील स्तरीय क्रियान्वयन समिति - उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय इंप्लीमेंटिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी	सदस्य
3. तहसीलदार	सदस्य/सचिव
4. नायब तहसीलदार	सदस्य
5. राजस्व विभाग के क्राप सर्वे क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक	सदस्य
6. अन्य सदस्य/कृषक, अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

13. डिजिटल क्रॉप सर्वे (एग्रीस्टैक) योजना के संचालन में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत नवीन मांग के माध्यम से प्रावधानित बजट की सीमान्तर्गत रहेगा। यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान से अतिरिक्त धनराशि की आवश्यक्ता होती है तो मा० मंत्रि-परिषद को अवगत कराते हुए आदेश प्राप्त करेंगे।

14. एग्रीस्टैक हेतु तैयार किसानों एवं उनकी भूमि के डाटाबेस का अन्यत्र दुरूपयोग न हो इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

15. वन ट्रिलियन डालर के लक्ष्य और प्रस्तुत योजना के दृष्टिगत विभाग द्वारा उक्त योजना के फलस्वरूप रियल टाइम क्रॉप सर्वे के माध्यम से क्रॉप सोन के प्राप्त आंकड़ों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर नियमित रूप से प्रदर्शित किये जाने हेतु सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही उक्त सूचनाएं अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग से भी शेयर/एक्सेस करने की व्यवस्था कराते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर भी उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

डाटा फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि भारत सरकार एवं राज्य के एग्रीस्टैक पर प्राप्त आंकड़ों में समरूपता बनी रहे।

16. किसानों तक सस्ता ऋण की उपलब्धता हेतु एग्रीस्टैक पोर्टल पर उपलब्ध किसानों के डाटाबेस का उपयोग करते हुए बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के आसानी से उपलब्ध हो सके। इस हेतु स्टेकहोल्डर्स के साथ एक मेकनिज्म बनाए जाए ताकि किसानों द्वारा किसी भी तरह कठिनाइयों/रिकार्ड वेरिफिकेशन से बचा जा सके।

17. एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों एवं उनसे संबंधित लैंड रिकार्ड की जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विशिष्ट लक्षित सलाह हेतु व्यक्तिगत किसान आधारित इनफार्मेशन जैसे बीज, खाद आदि की समय से उपलब्धता एवं सब्सिडी आदि की जानकारी हेतु AI/IOT के प्रयोग करना तथा कृषि उत्पादों के बेस्ट प्राइस की सूचना किसान तक सही समय से उपलब्ध हो सके इसके लिए लोकल मार्केट मैपिंग कृषि विपणन विभाग एवं लोकल प्राइवेट पार्टनर के साथ बिना किसी अतिरिक्त् औपचारिकता के एग्रीस्टैक में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. डिजिटल क्राप सर्वे (एग्रीस्टैक) योजनान्तर्गत गन्ना पर्यवेक्षकों को लगाते समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गन्ना विकास विभाग के अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (डिजिटल एग्रीकल्चर), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/नियोजन/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक/राजस्व/पंचायती राज/चीन उद्योग एवं गन्ना विकास/उद्यान विभाग, उ०प्र० शासन।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7. आयुक्त, गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
9. निदेशक, उद्यान/कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा/सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
10. एस0आई0ओ0, एनआईसी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. समस्त, जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/समस्त मुख्य राजस्व अधिकारी/समसत उप कृषि निदेशक/समस्त जिला कृषि अधिकारी/समस्त जिला उद्यान अधिकारी/ समस्त जिला गन्ना अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी/समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी/समस्त तहसीलदार/ समस्त नायब तहसीलदार/समस्त राजस्व विभाग के क्राप सर्वे क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक/समस्त डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश **द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**
12. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनेक्जर - 1

Z-11021/60/2022-Digital
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Digital Agriculture Division
***

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the: 30th May, 2023

To

ACS/Pr. Secy./Secy./Commissioner (Agriculture)
State Govt. of Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Assam, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Kerala.

Subject: Operational guidelines for Digital Crop Survey Pilot and funding pattern thereof-reg.

Madam/Sir,

This is regarding pilot of Digital Crop Survey (DCS) starting from Kharif - 2023 and to enclose herewith a copy of operational guidelines for the scheme on Digital Crop Survey for information and taking further necessary action.

2.1 Further, with regards to funding assistance under the scheme viz. Digital Crop Survey a Centrally Sponsored Scheme, it is calculated on the basis of Number of Parcels & Cropping Intensity as per Agriculture Census 2015-16. The fund requirement for DCS in the states is at Annexure. The fund indicated against each state is for pilot of DCS for all the three seasons i.e Kharif, Rabi and Zaid in the identified districts.

2.2 As per the existing guidelines for Centrally Sponsored Schemes, States other than NE & Hilly States will share 40% cost and NE & Hilly States will share 10% of the cost. For UTs, the Central Government will bear 100% of the cost.

3. States are requested to open a separate Single Nodal Account (SNA) for Digital Crop Survey (DCS). SNA account may be mapped in PFMS with scheme viz. Krishonnati Yojana 4138 (PFMS scheme code). Further, directions issued by D/o Expenditure from time to time regards to SNA and directions issued by PFMS may be complied with.

Encl: **As above.**

Yours faithfully,

(Muktanand Agrawal)
Director (Digital Agriculture)
Ph: 011-23384338
Email: muktanand.las08@gov.in

Copy to:
ACS/Pr. Secy./Secy./Commissioner (Revenue) State Govt. of Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Assam, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Kerala.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Z-11021/60/2022-Digital

1/27234/2023

Operational Guidelines for Digital Crop Survey Pilot

1. **Objective**

The Government seeks to establish a clear picture of crops being sown across all the farmlands in the country during the different agricultural seasons. The project's objective is to create a single and verified source of truth about the crop-sown data of a farmer and farmland.

The digital crop survey will collect information about different types of crops sown by farmers in their fields. This information will be collected through field visit by Crop Surveyors using the Crop Survey Application. The application will use remote sensing images and Geo-Referenced maps of farmland plots to gather information. The same will be a foundational block in the Agristack and serve as a basis to ensure up-to-date information for the digital agriculture ecosystem to evolve.

2. **Scope**

The digital crop survey will be rolled out initially as a pilot project in 11 states from the Kharif-2023 season. Based on the experience from the pilot, the survey will be rolled out for the entire country from the Agriculture Year i.e. 2024-25.

i. **States identified for the pilot on digital crop survey**

Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Gujarat & Assam have been identified for the pilot.

ii. **Districts to be covered in the pilot**

1. All the Districts – Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra & Telangana
2. 20% of Districts – Rest of the States (However, States may decide number of districts as per its readiness)

3. **Infrastructure:**

3.1 The Government of India will provide a Reference Application for carrying out Crop Survey and Standard Operating Procedure (SoP).

3.2 States may choose to use the Crop Survey Reference Application as-is, by configuring the parameters provided to the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

State's specific rules and procedures, or may choose to customize it i.e. change its code as per the State's requirement. The State may also chose to implement its own Crop Survey application that may be developed by the State independent of crop survey Reference Application. In either case, the State has to ensure that the Crop survey application developed/implemented by the State shall have the essential features prescribed by the Central Government.

3.3 States are to put in place the necessary IT infrastructure for the Digital Crop Survey. The Centre may provide hosting facilities if requested by the States till the time States can put their system in place.

4. **Operational mechanism**

4.1 MoU is to be signed between Center & State.

4.2 Geo-referencing of village maps and digitized RoR with ownership extent is a prerequisite for conducting digital crop surveys.

4.3 The Digital Crop survey is to be conducted for each Agricultural plot of the entire village.

4.4 The survey is to be conducted once during each season, i.e. Kharif, Rabi and Summer (if applicable).

4.5 It is to be ensured that each plot is surveyed only once in a season.

4.6 Data will be captured using the Digital Crop Survey Mobile App and used by the States and the Central government.

4.7 Data sharing between the Centre &the State Government shall be governed by the MoU signed between Center & State.

4.8 States will be free to conduct the Crop Survey through State officials/ Private persons, including Farmers.. However, it is to be ensured that the person deployed for the survey is well versed with the village agronomy.

4.9 Principal Secretary (Agriculture/Revenue, as the State decides in the steering committee meeting) will be the Single Point of Contact (SPOC) for the Crop Survey. The States shall also appoint a Technical Nodal Officer (TNO) for the purpose.

5. **Sample verification**

States would devise a mechanism for verification to ensure the authenticity of data. It is suggested that States conduct a minimum of 5 per cent sample check through a third party.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/27234/2023

6. **Funding**

6.1 Digital Crop Survey, a Centrally Sponsored Scheme, has been approved under Digital Agriculture Mission for supporting the States which seek financial assistance from Government of India for conducting the survey.

6.2 State-wise fund allocation would be made in proportion to Number of Parcels & Cropping Intensity as per Agriculture Census.

6.3 As per the existing guidelines for Centrally Sponsored Schemes, States other than NE&Hilly States will share 40% cost and NE&Hilly States will share 10% of the cost. For UTs, the Central Government will bear 100% of the cost.

6.4 The extent guidelines of Ministry of Finance, Department of Expenditure shall be followed for release of funds.

6.5 State may utilize the fund for activities relating to Digital crop Survey such as Remuneration/ Honorarium, Training, IT infrastructure etc. In no case, the fund received from the Government of India will be utilised to pay the salary of regular employees.

6.6 Funding to the States using their own application or customized reference application would be subject to the Crop Survey Application being used by state having all the essential features prescribed by the Central government.

6.7 States need to submit proposal in the format prescribed by the DA&FW.

7. **Approval and Monitoring Mechanism:**

7.1 Approval of the project shall have to be taken in the Steering Committee on AgriStack chaired by the Chief Secretary.

7.2 The State level Implementation Committee on AgriStack chaired by the Agriculture/ Revenue Secretary will review the pilots' implementation every month, starting from May 2023. Proceedings of the review meeting with the progress made on implementation will be shared with the Government of India.

7.3 The District Level Implementation Committee chaired by the District Collector will be constituted to monitor the pilot on a fortnightly basis, starting from May 2023.

7.4 Periodic monitoring of the pilot will be done at the Government of India level under the chairmanship of Secretary D/o A&FW.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Andhra Pradesh	All Districts	47.59
2	Karnataka	All Districts	43.58
3	Madhya Pradesh	All Districts	129.41
4	Maharashtra	All Districts	93.21
5	Telangana	All Districts	30.67
6	Odisha	All Districts	32.93
7	Rajasthan	7	20.43
8	Tamil Nadu	8	10.69
9	Uttar Pradesh	19	54.16
10	Gujarat	6	4.06
11	Assam	1	0.83
12	Kerala	The fund for Kerala has not been indicated, as the state has not submitted the proposal for DCS.	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एनेक्चर-2

Digital Public Infrastructure Initiatives by the Government of India (GoI)

Memorandum of Understanding (MoU) between the Centre and the States

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. Preamble

1.1. *WHEREAS* it is planned to build Digital Public Infrastructure (DPI) for the benefit of the farming sector in accordance with the announcement in the Union Budget for FY 2023-24, as given in Annexure – I;

1.2. *AND WHEREAS* the "Digital Public Infrastructure for Agriculture" will be built jointly by the Centre and various States and Union Territories.

1.3. *AND WHEREAS* it is planned to create a foundational "Digital Public Infrastructure for Agriculture", in a federated structure/manner.

1.4. *AND WHEREAS* "Digital Public Infrastructure for Agriculture" is a collection of databases; registries, directories, frameworks, standards, data schema, APIs, and IT systems, designed to open up agriculture data through interoperable systems for the development of innovative services.

1.5. *AND WHEREAS* the main components of "Digital Public Infrastructure for Agriculture" in the initial phase involve the creation or upgradation of 3 core registries (namely: Farmer Registry, Geo-Referenced Village Maps, and Crop Sown/Grown Registry) at the State level, and the synchronisation of selected data from these State registries to the Centre, by following a strict data federation model between the Centre and the States (an explanation of the various terms used in "Digital Public Infrastructure for Agriculture" and this MoU is provided in Annexure II);

1.6. *AND WHEREAS* "Digital Public Infrastructure for Agriculture" will enable the provision of services to farmers by various service providers and Governments by allowing the use of this data in accordance with the law of the land and after taking consent of the farmers wherever applicable and also sharing of non-personal data (through a data exchange)

1.7. *AND WHEREAS* States and Union Territories, and their Farmers would benefit from the Digital Public Infrastructure and the use of ICT in Agriculture in the following ways:

a) **Optimising Agricultural Scheme Budgets**: Optimising their fiscal burden on agricultural schemes through better targeting (better inclusion, better exclusion) based on the integrated registries of Farmers, Geo-Referenced Village Maps and Crops Sown – all of which will be dynamic registries, with high-quality and dependable data;

b) **Getting better and quicker access to Central Government and State Governemnet Schemes**: Using digital technological interventions will make it easier for States to access Central Sector schemes seamlessly. States will also lower the burden for their farmers to apply to various Central sector / Centrally Sponsored schemes and State Schemes.Quicker and more accurate identification of beneficiaries in the States would enable faster disbursements to States by the Centre.

c) **Enabling farmers to access agricultural services digitally**: Today, access to quality data, and access to farmers digitally is cited as a costly hurdle by agricultural technology and credit providers thereby reducing their ability to scale and reach more farmers – beyond a few localised pilots. Using digital technologies and registries will enable the States to easily and quickly give their farmers access to various agricultural services.

1.8. *AND WHEREAS* the State Governments, specifically, may further benefit from being part of building the "Digital Public Infrastructures for Agriculture" and the ecosystem it will enable, in the following ways:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

a) Technology integration with Unified Farmer Service Interface (UFSI) will be a one-time activity that will be done for any State that will be a part of the Digital Public Infrastructure for agriculture ecosystem. States would then be able to provide their farmers with services of providers who integrate with Digital Public Infrastructure for Agriculture, centrally, without any additional effort. Without integrating with UFSI, a State would have to separately integrate with each service provider - which would be time-consuming and expensive.

b) States would be able to provide the farmers various benefits and services including quality inputs, easy access to credit, advisories etc. using "Digital Public Infrastructure for Agriculture".

c) States would be able to provide the farmers with market access across the nation, as the Digital public infrastructure for Agriculture would connect to buyers' ecosystems such as e-market places, e-NAM, ONDC etc.

d) Agri Stack regulations and guidelines would provide assurance to farmers regarding on-boarding of suitably qualified service providers and their charges, if any. More importantly, Agri Stack would also assure the protection and safety of their personal, land and crop data and ensure that they are accessed only after their.

e) States would be able to develop their digital agricultural systems faster, due to the technical assistance provided under the Digital Public Infrastructure for Agriculture project in the form of Standard Operating Procedures (SOPs), technical resources, curated reference applications and customisation support, and financial support for selected components of the project.

f) While States may already be working on their own databases and schemes, aligning to the data standards and Standard Operating Procedures that are being prepared by the Centre (taking into account States specific situations and variations), will allow adopting States to take advantage of good practices and learnings from other States.

g) The administrative burden on States to provide data for various central sector schemes will also reduce because states are part of the UFSI-enabled ecosystem.

h) Centre and the States can work together more easily for interstate coordination for managing glut and shortage of agricultural produce
States, working with the Centre can better manage extremes of prices of agricultural produce by aligning policies and market interventions, in concert with other States.

1.9. ***AND WHEREAS*** the MoAFW and other Central Government Departments that relate to agriculture, may benefit from the implementation of the Digital Public Infrastructure for Agriculture, and the aggregated data collated in the centre in many ways, such as:

a. Procurement Intervention/market Intervention - Domestic and Exports.
b. Estimating crop area, production and productivity.
c. Formulation of schemes and implementation of schemes for farmers and the agricultural sector.
d. Facilitation of Agricultural Credit and Investment
e. Promotion of post-harvest processing initiatives
f. Value addition in Agricultural and Horticultural sector.
g. Export oriented agricultural growth

1.10. *AND WHEREAS* the Department of Agriculture and Farmer Welfare (DA&FW), Ministry of Agriculture and Farmer Welfare (MoA&FW), Government of India, and the respective Department

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

of Agriculture in the States and Union Territories (UTs) shall be responsible parties for this Memorandum of Understanding.

1.11. *NOW THEREFORE* the signatories to this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) have agreed as set out herein below.

2. Duration of the MoU

This MoU will be in effect from the date of its signing by the concerned parties and will remain in force till the end of the financial year 2027-28. Thereafter, it can be extended with mutual consent.

3. Government of India Commitments

The Department of Agriculture and Farmers Welfare (DoA&FW), Ministry of Agriculture & Farmer Welfare (MoA&FW), Government of India (GoI) shall:

3.1. Establish Steering Committee in the MoA&FW, with the participation of the State Governments, to review the progress of the implementation of the Digital Public Infrastructure for agriculture, facilitate coordination and take all policy decisions. The MoA&FW would include Chief Secretaries of 3 States on a rotation basis in Steering Committee. The Central Government would also include, by rotation, 3 Revenue Secretaries and an equal number of Agriculture Secretaries in the Governing Board of the National Farmer Welfare Program Implementation Society (NFWPIS), MoA&FW, GoI.

3.2. Setup need-based Committees and Joint Working Groups as required for collaborative implementation of Digital Public Infrastructure for Agriculture.

3.3. Design policy frameworks and guidelines for implementing the Digital Public Infrastructure for Agriculture initiative with details on the components, purpose, and indicative methodology/ technology. The Central Government will also consult all the State Governments before finalizing any policy papers on Digital Public Infrastructure for Agriculture.

3.4. Design the technical architecture of Digital Public Infrastructure for Agriculture and develop and fund the required central infrastructure.

3.5. Integrate State Cores (i.e., 3 core databases and relevant registries) with Central systems in coordination with the States. The MoA&FW would not however store any farmer's individual data or crop data except the minimalistic data of farmers as outlined in Annexure-III.

3.6. Ensure that any sharing of farmers data from Digital Public Infrastructure for Agriculture for the Central Schemes would be only on a need basis and limited to the schemes' beneficiaries. The data of other farmers who are not the beneficiaries of the scheme would be shared only if the scheme intends to provide benefits on an entitlement basis, and the data will only be shared post approval of the Steering Committee.

3.7. Ensure that farmer-specific personal data would be shareable based on Farmer's consent only. Centre does not have farmer-specific data, and, hence, will not be able to share it with other States directly. States, who have the farmers' data, will have control over sharing the farmers' data only with data seekers that the State authorises, or with Centrally-authorised data seekers, only if the State agrees to do so.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.8. Develop and publish supporting registries and master databases, including but not limited to, those for Crops, Seeds, Pesticides, and others, so as to enable the standardisation of agriculture-related data across the nation.

3.9. Create reference applications for the development of State Cores and shortlisted use-cases for the States to **adopt** (i.e., use without any modifications, through configuration only) or **adapt** (i.e. use with customisations or changes to the source code). States shall have the option to develop their own applications (even if not yet developed), as long as they are compatible with the data interoperability standards laid down by the Centre.

3.10. Provide capacity-building support through appropriate content as a guidance tool for the States to adopt and effectively implement Digital Public Infrastructure for Agriculture.

3.11. Provide financial assistance to the States from relevant schemes for selected components of Digital Public Infrastructure for agriculture and shortlisted use cases of DPIs.

3.12. Provide required technical manpower and funding for setting up of State Project Management Unit (SPMUs) and Information Technology (IT) infrastructure, in the initial stages.

3.13. Provide High-Resolution Satellite Imagery (HRSI) to the States for the creation of Geo-Referenced village Maps from the National Remote Sensing Centre (NRSC).

4. State Government/ Union Territories (UTs) Commitments

The State Government/ UT shall:

4.1. Participate in implementing the Digital public infrastructure for agriculture project and other Digital Public Infrastructure initiatives as per the various guidelines issued by the MoA&FW in this regard, including but not limited to pilots/proof of concepts, as required.

4.2. Setup a Steering Committee and an Implementation Committee to meet regularly.

4.3. Identify nodal officers from the Department of Agriculture and Department of Revenue and Land Records, and other relevant departments such as Department of eGovernance and/or Information Technology, for co-ordination with the MoA&FW, GoI, on implementation of the project.

4.4. Establish a Project Management Unit (PMU), to build long-term capacity and capabilities for maintaining IT infrastructure and manpower to operate Digital public infrastructure for agriculture and other DPIs.

4.5. Ensure participation of all related departments for the effective implementation of Digital public infrastructure for agriculture and other DPIs such as the Department of Land Revenue, Department of Fisheries, Department of Horticulture, Department of Irrigation and Water Resources (or the appropriate departments that fulfil the responsibilities in these regards, in the State) as the scope of Digital public infrastructure for agriculture expands in future.

4.6. Develop, implement and integrate State cores (3 core databases with relevant registries) with Central system, following the architecture principles, frameworks and guidelines designed by the Centre. The State Government would ensure that the farmers registry is always up to date by putting in place the required mechanism for synchronization of data from the State Land Record System, periodically, and by collecting additional details from the field from time to time, if so required. Similarly, the States will be responsible to keep the other supporting registries of the DPIs updated.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.7. Ensure that the Farmer ID, provided to the Farmers, by the Central Core system, is used to update the Farmer Registry in the State

4.8. Ensure that if updated Village Maps are available in the normal course with the revenue department, then same shall be immediately geo-referenced and deployed for Digital public infrastructure for agriculture Project after deleting the older version of such geo-referenced maps.

4.9. Ensure that the Farmer ID and the Geo-referenced Village Maps are linked within the State's Farmer Database, as per the SOPs provided by the Centre.

4.10. Implement the required synchronisation process between State and Central core for selected fields of three core registries of Digital Public Infrastructure for agriculture, as prescribed by the MoA&FW.

4.11. Carry out digital crop survey regularly, as per the guidelines issued by MoA&FW, either using the centrally provided Reference Application, or the State's own application, as it is a foundational block of Digital Public Infrastructure for Agriculture.

4.12. Ensure, further, through appropriate government orders, that the digital crop survey data is the only source of truth and would put in place a mechanism to copy this data into the Land Record System.

4.13. 'Adapt' or 'adopt' reference applications provided by the Centre, or ensure that any State-developed applications align to the data interoperability standards laid down by the Centre as part of the Digital Public Infrastructure in Agriculture initiative.

4.14. Use and enforce the usage (through appropriate Government Orders, and required digital integration with the Digital public infrastructure for agriculture and other DPIs) of supporting registries and master databases, including specifically, but not limited to, Crop Registry, Seed Registry, Pesticide Registry, and other such supporting registries and master databases, as may be developed by the Centre in association with States, and published from time to time, for nationwide use

4.15. Contribute state-specific data to such supporting registries and master databases as described above, electronically, as requested by the Government of India.

4.16. Appoint suitable committees and authorise them to provide such state specific data for the creation of such master databases and supporting registries as may be required by the Govt of India.

4.17. Implement data exchange and consent sharing policy framework as per frameworks provided by the MoA&FW.

4.18. Undertake all possible process re-engineering involved in implementing the Digital public infrastructure for agriculture and other Digital Public Infrastructure initiatives in the States, including legal changes, wherever required.

4.19. Make provisions for the State IT Infrastructure to host and operate the State components of the Digital Public Infrastructure for Agriculture, through State Data Centres, or State-operated government cloud infrastructure

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- This MoU shall be signed by the officers duly authorized by the State Government/ UT Administration and by the MoA&FW, Government of India.

Signed this 25th day of MAY of 2023

(Date) (Month) (Year)

For and on behalf of the Ministry of Agriculture & Farmer Welfare, Government of India	For and on behalf of the State Government/~~UT Administration~~ of UTTAR PRADESH
(Designation) Advisor	(Designation) SHO Digital Agriculture

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexures

Annexure – I

Budget announcement on Digital Public Infrastructure for Agriculture, Budget 2023

Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive, farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of Agri Techs industry and start-ups.

Annexure - II

Explana n of Terminologies used in the MoU

(a) **Agri Data Exchange:** A secure and authenticated platform enabling access to curated non-personal datasets amongst various data platforms, 3rd party applications, data producers, and consumers.

(b) **API:** Programming interface that allows one application to execute certain operations on another application remotely. APIs are generally represented as "verbs" like "search", "select", "confirm", "cancel", but may also take other forms.

(c) **Consent:** An explicit permission from the Data Principal to the Data Fiduciary to share his/her data with a data seeker through a Consent Framework.

(d) **Data Schema:** The definition of the structure of a database which describes what data is captured in the database, i.e., the fields, their types, formats, constraints and rules that the data must adhere to, as well as how the data may relate to each other or other data models in other data schema.

(e) **Farmer Registry:** A federated registry of all agricultural land-holding farmers in the country, would be compiled and maintained by States according to Digital Public Infrastructure for Agriculture standards. States would be able to expand this registry other farmers as well.

(f) **Farmland or Agricultural Land:** A land parcel which is predominantly used for Agriculture.

(g) **Federated:** A distributed and decentralised systems to preserve the respective authorities of States, various line departments, and organisations and institutions. These systems must be interoperable through common standards and specifications while maintaining their independence.

(h) **Geo-referenced Village Maps:** Historically, village maps have existed as hand-drawn records on paper. Under the Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP), these paper village maps are being scanned and digitised, as raster maps, followed by vectorisation (which ensures that the geometry of the boundaries are also computed), and finally geo-referenced, which implies that the vertices are all given a latitude and a longitude.

(i) **Reference Applications:** Applications designed and developed as reusable applications for use and adoption by various entities, as part of efforts to develop a new ecosystem, protocols or platforms. Reference applications can be used in order to understand and use the protocols and

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

functionalities available in that new platform, protocol, or ecosystem. In the case of Digital Public Infrastructure for Agriculture, Reference Applications refer to the applications intended to be developed by the Centre for adaptation or use by the States to maintain and manage the State components of Digital Public Infrastructure for Agriculture. These will be made available to States via source code repositories, websites, and/or app stores to adapt (i.e., they can take the source code and change the application as required) or adopt (they can use the application as-is) as per their needs.

(j) **Unified Farmer Service Interface**: An interface that enables Digital Public Infrastructure for Agriculture components and the agricultural services ecosystem's IT systems to talk to each other.

Annexure – III

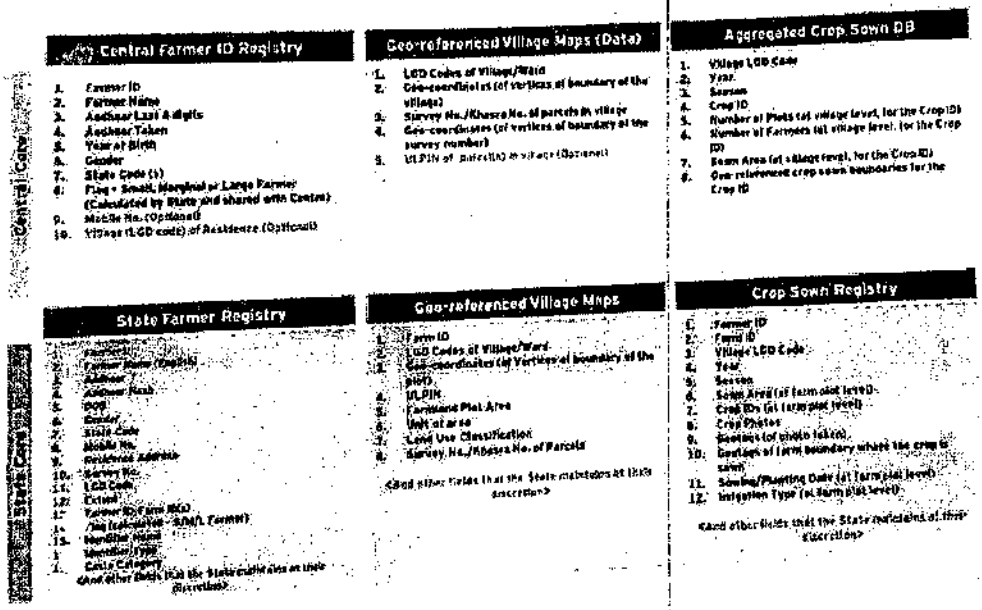
Central Core
Central Farmer ID Registry
1. Farmer ID
2. Farmer Name
3. Aadhaar Last 4 digits
4. Aadhaar Token
5. Year of Birth
6. Gender
7. State Code (s)
8. Flag - Small, Marginal or Large Farmer (Calculated by State and shared with Centre)
9. Mobile No. (Optional)
10. Village (LGD code) of Residence (Optional)
Geo-referenced Village Maps (Data)
1. LGD Codes of Village/Ward
2. Geo-coordinates (of vertices of boundary of the village)
3. Survey No./Khasra No. of parcels in village
4. Geo-coordinates (of vertices of boundary of the survey number)
5. ULPIN of parcel(s) in village (Optional)
Aggregated Crop Sown DB
1. Village LGD Code
2. Year
3. Season
4. Crop ID
5. Number of Plots (at village level, for the Crop ID)
6. Number of Farmers (at village level, for the Crop ID)
7. Sown Area (at village level, for the Crop ID)
8. Geo-referenced crop sown boundaries for the Crop ID
State Core
State Farmer Registry
Geo-referenced Village Maps
1. Farm ID
2. LGD Codes of Village/Ward
3. Geo-coordinates (of Vertices of boundary of the plot)
4. ULPIN
5. Farmland Plot Area
6. Unit of area
7. Land Use Classification
8. Survey No./Khasra No. of Parcels
<And other fields that the State maintains at their discretion>
Crop Sown Registry
1. Farmer ID
2. Farm ID
3. Village LGD Code
4. Year
5. Season
6. Sown Area (at farm plot level)
7. Crop IDs (at farm plot level)
8. Crop Photos
9. Geotags (of photo taken)
10. Geotags of farm boundary where the crop is sown
11. Sowing/Planting Date (at farm plot level)
12. Irrigation Type (at farm plot level)
<And other fields that the State maintains at their discretion>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-3

डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु चयनित 21 जनपदों का विवरण

क्रम संख्या	जनपद का नाम	राजस्व ग्राम की संख्या	एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए एसएचपी फाइल	डिजिटल मैप उपलब्धता का प्रतिशत	कुल प्लाट की संख्या	जिओ रिफरेन्स प्लाट की संख्या	कुल सर्वेयर की आवश्यकता (1500 प्लाट/ सर्वेयर)	लेखपाल की उपलब्धता	तकनीकी सहायक के संख्या	खंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) सहायक तकनीकी प्रबंधक (एटीएम)की संख्या	अन्य सर्वेयर की आवश्यकता
1	भदोही	1270	1197	94.25	558184	526099	351	216	43	18	74
2	संत कबीर नगर	1733	1399	80.73	803462	648611	432	294	40	27	71
3	औरैया	851	816	95.89	697448	668763	446	132	38	19	257
4	महोबा	521	499	95.78	495044	474140	316	103	29	12	172
5	हमीरपुर	636	549	86.32	531770	459028	306	156	48	21	81
6	सुल्तानपुर	1765	1554	88.05	1479227	1302390	868	268	48	42	510
7	वाराणसी	1428	1163	81.44	942976	767984	512	243	87	23	159
8	जौनपुर	3529	3010	85.29	2348702	2003285	1336	545	111	59	621
9	प्रतापगढ़	2266	1856	81.91	1758361	1440211	960	286	78	51	545
10	मिर्जापुर	2015	1848	91.71	1210945	1110584	740	317	49	35	339
11	मुरादाबाद	1213	1194	98.43	658386	648073	432	217	40	24	151
12	जालौन	1164	1160	99.66	747910	745340	497	188	58	27	224
13	चित्रकूट	653	457	69.98	763865	534589	356	61	55	15	225
14	फर्रुखाबाद	1026	999	97.37	780992	760440	507	159	38	21	289
15	अयोध्या	1311	1221	93.14	1291205	1202564	802	236	60	33	473
16	चंदौली	1651	1454	88.07	682953	601462	401	296	92	24	0
17	झांसी	857	850	99.18	881780	874578	583	180	64	23	316
18	बस्ती	3377	3317	98.22	1484943	1458560	972	521	67	39	345
19	हरदोई	2124	1853	87.24	2140407	1867314	1245	323	118	56	748
20	देवरिया	2178	1898	87.14	1090526	950284	634	382	79	46	127
21	गोरखपुर	3454	3277	94.88	1663547	1578373	1052	546	120	55	331
कुल		35022	31571	1894.68	23012633	20622672	13748	5669	1362	670	6058

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।